# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

**अपील / 18 / 2014**

श्री दाऊदयाल पुत्र करनसिंह जाति जाट निवासी ग्रांम कासोट तहसील डीग जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

राज.सरकार जरिये पैरोकार सरकार

.......रेस्पो0

अपील विरुद्व आर्म्स अनुज्ञापत्र नम्बर 06 / 2002

------

उपस्थित :–

श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अपीलान्ट

आदेश दिनांक 27.11.2017

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर के पत्र 4180 दिनांक 13.4.2012 जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ मु0न0 229 / 99 अन्तर्गत धारा 323,341,336,307 भा.द.सं. दर्ज होने के कारण, प्रार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र रिन्यूल नहीं किये जाने की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र नम्बर 96 / 95 डीएम भरतपुर गन नम्बर 14317 को दिनांक 5.7.2013 को निलम्बित किया गया था।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के उक्त आदेश दिनांक 5–7–2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहॉ अपील पेश की गई। माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपील अपने निर्णय दिनांक 11–7–2014 से अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर आयुध अधिनियम की धारा 17(3) तार्किक एवं गुणावगुण पर न्याय संगत आदेश पारित करें।

प्रकरण माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 11–7–2014 के परिप्रेक्ष्य में दर्ज रजिस्टर किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट पत्र क्रमांक / भरत / जि.वि.शा. / 2016 / 1654 दिनांक 3–10–2016 शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योग्य अभिभाषक का कहना है कि जिस मुकदमा को लेकर अपीलार्थी का आर्म्स लाईसेन्स निलम्बित किया गया था। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने एस.पी.भरतपुर की रिपोर्ट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी उन सभी धारा में दोष मुक्त हो चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक ने लाईसेन्स को बहाल करने की सिफारिस की है। अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थी का आर्म्स लाईसेन्स रिन्यूल किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलार्थी का आर्म्स अनुज्ञापत्र नम्बर 96 / 95 डीएम भरतपुर को जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट पत्र 4180 दिनांक 13.4.2012 के आधार पर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निलम्बित किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट पत्र क्रमांक / भरत / जि.वि.शा. / 2016 / 1654 दिनांक 3–10–2016 में प्रार्थी आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट का आर्म्स अनुज्ञापत्र नम्बर 95 / 96 को दिनांक 5.7.2013 को निलम्बित किया गया था। वर्तमान में Arms Rules.2016 प्रचलन में हैं। योग्य अभिभाषक को निर्देशित किया गया कि वे वर्तमान में प्रचलित Arms Rules.2016 नियमों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें, प्रार्थना पत्र पर बाद कार्यवाही गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान में प्रचलित नियम (Arms Rules.2016) परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी से आवेदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को सुनाया गया।

( डा.एन.के.गुप्ता )
**जिला कलक्टर,**
**भरतपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official